फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

महिया –बनाम– पुन्नु खां वगैरह

किस्म मुकदमा : अपील सं. 103 / 2025 अंतर्गत धारा– 75 एल.आर. एक्ट

(जीसीएमएस संख्याः 2025 / 123)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.4.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 25.11.2024 अंतर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रथमतः अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित धारा 14(4) आवंटन नियम 1970के तहत पारित निर्णय दिनांक 25.11.2024 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.11.2024 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत पारित है, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर संबंधित राजस्व अपील प्राधिकारी को प्राप्त है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकल पीठ के आदेश दिनांक 03.01.2025 मुकदमा नंबर 2024 / 9503 अनवान बन्नेसिंह बनाम जीतादेवी व अन्य में शिकायत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 सपठित नियम 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत पारित निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी को होने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने की दशा में अपील मूल ही सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु अपीलांट को लौटाई जाती है। संभागीय आयुक्त बीकानेर	